परिशिष्ट "अ"

(5)

विधानसभा प्रश्न क्र. 1245

नगर निगम भोपाल के द्वारा दिनांक 10/02/2015 को नगर पालिक निगम **अधिनियम 1956** की धारा 307(2) के अन्तर्गत किये गये निर्माण के लिये कारण **बताओ सूचना** पत्र जारी किया गया था, संबंधित को इसके उपरान्त दिनांक **28/08/2015** को म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303(1) **के अन्तर्गत** अवैध अधिभाषित भाग को रिक्त करने का सूचना पत्र जारी किया गया **ताकि** अवैध भाग को तोड़ने की कार्यवाही की जा सके। अवैध निर्माण को हटाने के **लिये** पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 02/09/2015, दिनांक 08/09/2015 तथा दिनांक 11/09/2015 को पत्र जारी किये गये, परन्तु म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303(1) के पत्र जारी होने के पश्चात् आवेदक ने न्यायालय श्रीमान सोलहवे व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग-02 ने नगर निगम के विरूद्ध दिनांक 09/12/2015 को वाद दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई पर दिनांक 10/12/2015 को माननीय न्यायालय के द्वारा तीनों प्रकरण वृहद लोक अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये व दिनांक 12/12/2015 को वादी ने यह प्रकरण समझौता करने के कथन के साथ वापस ले लिया। उक्त निर्णय के परिपालन में निर्माणकर्ता के द्वारा समझौता प्रकरण क्र. दिनांक 06/03/2017 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया व उत्तर दिया गया कि उन्होंने गोडाउन का संचालन कार्य बंद कर दिया है। अवैध निर्माणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत समझौता प्रकरण का परीक्षण किया गया व उनको निर्देशित किया गया है कि फ्रंट एम.ओ.एस. अवैध निर्माण को हटावें तथा व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करें। पुनः स्मरण-पत्र दिनांक 12/08/2017 को दिया गया परन्तु आवेदक ने संशोधित मानचित्र पत्र प्रस्तुत नहीं किये व फ्रंट एम.ओ.एस. का निर्माण कार्य नही हटाया गया। जिसके कारण न्यायालय के निर्णय समझौता की कार्यवाही नही हो सकी। संबंधित को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है कि फ्रंट एम.ओ.एस. से निर्माण हटा लें तथा संशोधित मानचित्र पत्र प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की जावेगी व न्यायालय के निर्णय के पालन न होने का उत्तरदायित्व अवैध निर्माणकर्ता का होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Assistant Engineer
Urban Administration & Development
M.P. Bhopal